भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2102

गुरुवार, 4 जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रशिक्षित ड्राइवरों की आवश्यकता

2102. श्री रोड़मल नागरः

श्री पी.पी. चौधरी:

श्री रवि किशनः

श्री लल्लू सिंहः

श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में टैक्सी सेवाओं की बढ़ती संख्या के कारण प्रशिक्षित ड्राइवरों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त मांग की पूर्ति नहीं होने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देशभर में जिला मुख्यालय में मोटर ड्राइविंग स्कूलों को स्थापित करने का विचार है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संबंध में बढ़ती दुर्घटनाओं की समस्या का समाधान करने के लिए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई विस्तृत रूपरेखा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख): पिछले दिनों किए गए विभिन्न सड़क दुर्घटना अध्ययनों के कार्योत्पादक विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती के कारण होती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 की रिपोर्ट बताती है कि सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 84% दुर्घटना ड्राइवरों की गलती के कारण हुई। कैलेंडर वर्ष 2017 में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइवरों से जुड़े दुर्घटना मामलों की संख्या 48,503 (कुल दुर्घटनाओं का लगभग 10%) हैं।

(ग) से (घ): जी, हां। मंत्रालय ने वाणिज्यिक वाहन चालकों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने, सड़क और पर्यावरण सुरक्षा में सुधार लाने और सड़कों पर समग्र गतिशीलता को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला स्तर पर "ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित करने के लिए योजना" नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र/राज्य सरकार के कानून के तहत पंजीकृत कोई भी कानूनी इकाई आवेदन करने के लिए पात्र है। इसके अलावा, मंत्रालय इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) की योजना को भी लागू करता है। इन दो योजनाओं के तहत आईडीटीआर और आरडीटीसी की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****